न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 69/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/84

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज) **बनाम** श्री रमेश चन्द्र सोतानी पुत्र श्री मीठालाल सोतानी निवासी भगत सिंह कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स रमेश चन्द्र मीठालाल, आजाद चौक, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–07–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **05–06–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **19–02–2024** को 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स रमेश चन्द्र मीठालाल, आजाद चौक, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री रमेश चन्द्र सोतानी पुत्र श्री मीठालाल सोतानी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स रमेश चन्द्र मीठालाल, आजाद चौक, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **सरसो तेल (लुज) स्टील की टंकी में करीब 8 लीटर रखा हुआ था,** जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खुला सरसो तेल विक्रय पर प्रतिबन्ध होने से उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म V-A पर सूचना देते हुए **सरसो तेल (लुज) 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 280/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:05 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **सरसो तेल (लुज) 2 लीटर को एक साफ सुखे बर्तन में डालकर एकरुप कर 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1727** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/133 दिनांक 28–03–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 240 दिनांक 29–02–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया सरसो तेल (लुज) जो कि कोड क्रमांक **W-1727** Regulation no.2.3.15 of food safety and standard Regulations (Prohibition and Restrication on sales) 2011 as sold in loose condition है। विक्रेता ने **सरसो तेल (लुज)** (Prohibition and Restrication on sales) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:05 IST
Reason: SelfAttested

रमेश चन्द्र मीठालाल, आजाद चौक, बांसवाडा को रूपये 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:05 IST
Reason: SelfAttested